


पत्रांक : वाई0ई0ए0/सम्पत्ति/2017/7062
 दिनांक- 30/11/2017

कार्यालय ज्ञाप

प्राधिकरण की 60वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या-60/14, दिनांक 09.06.2017 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के क्रम में पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या-वाई0ई0ए0/ए0सी0ई0ओ0/256/2017 दिनांक 16.06.2017 के बिन्दु संख्या-5 में दी गयी व्यवस्था को अग्रिम आदेश तक प्राधिकरण की आवासीय भूखण्ड योजना 2009(1) के आवंटियों हेतु निम्नानुसार सुविधा अनुमत्य की जाती है :-


आवासीय भूखण्ड योजना 2009(1) के 21000 आवंटियों को उपरोक्त अनुतोष/सुविधाएं दिये जाने के पश्चात् भी यदि वह योजना के अन्तर्गत अपने भूखण्ड को समर्पण करता है तो उसको यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वह आवंटित भूखण्ड को प्राधिकरण के पक्ष में भूखण्ड समर्पण आवेदन प्राधिकरण में प्रस्तुत कर अपनी जमा धनराशि (Penal Interest के अलावा) 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर के साथ वापस ले सकता है। यदि आवंटी द्वारा एक मुश्त लीज रेंट जमा कर रखा है तो लीज डीड की तिथि से सरेण्डर की तिथि तक का लीज रेंट छोड़कर, शेष लीज रेंट की धनराशि वापस ले सकता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


 (डॉ० अरुणवीर सिंह)
 मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
2. विशेष कार्यधिकारी (एस0बी0/ए0के0टी0/एस0के0/एम) यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
3. महाप्रबन्धक(वित्त/नियोजन), यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
4. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (परियोजना) यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
5. सलाहकार (आर.एम.एस./बी.के.एस./एस.के./जे./एम.एस./आर.के.) वाई ई.ए।
6. समस्त योजना प्रभारी/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक/नायब तहसीलदार (सम्पत्ति) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. गार्ड फाईल।


 मुख्य कार्यपालक अधिकारी

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रधान कार्यालय: औद्योगिक विकास, ब्लॉक-बी-2, सेक्टर ओमेगा-1, चेंटर नईएल सिटी - 201308 जिला-गौतमबुद्धनगर (उप्र)
 दूरभाष नं० - 0120 - 2385201, फैक्स नं० - 0120 - 2385150